



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संचिका संख्या- SHSB/PM/595/2022

आदेश संख्या .6290 दिनांक 24/01/23

कार्यालय आदेश

BMSICL के गठन एवं उनके स्तर से केन्द्रीयकृत औषधि आपूर्ति प्रारंभ करने के पूर्व राज्य के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं/चिकित्सकीय सामग्रियों की जिलों के स्तर से स्वयं क्रय करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा दर अनुबंध कर जिलों के सिविल सर्जन एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों को संसूचित किया जाता था। सरकारी अस्पतालों की आवश्यकता के अनुरूप दर अनुबंधित एजेंसियों को सिविल सर्जन/अधीक्षक द्वारा क्रयादेश निर्गत कर विहित प्रक्रियानुसार औषधियों की आपूर्ति प्राप्त की जाती थी। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्र संख्या-19644, दिनांक 03.09.2010 द्वारा M/s Torque Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 232-33-34, Sector-34-A, Chandigarh-160034 से औषधि की आपूर्ति हेतु दर अनुबंध किया गया था।

2. सिविल सर्जन, बांका के क्रयादेश संख्या-3172, दिनांक 19.11.2010 द्वारा दर अनुबंधित उपरोक्त आपूर्तिकर्ता फर्म Torque Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 232-33-34, Sector-34-A, Chandigarh-160034 को 08 प्रकार के औषधियों की आपूर्ति करने का क्रयादेश निर्गत किया गया था। उक्त अनुबंधित फर्म द्वारा सिविल सर्जन, बांका को क्रयादेशित औषधियों की आपूर्ति नहीं की गयी। फलतः सिविल सर्जन, बांका द्वारा जिला क्रय समिति के माध्यम से निर्धारित दर के आधार पर उक्त औषधि का स्थानीय स्तर पर क्रय करना पड़ा। महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा स्थानीय क्रय किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान होने पर अंकेक्षण आपत्ति अंकित की गयी है। विषयांकित मामले की लोक लेखा समिति (मुख्य) द्वारा समीक्षा के दौरान माननीय सभापति महोदय द्वारा दवा आपूर्ति नहीं करने वाले फर्म के विरुद्ध कार्रवाई कर, कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय, महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश है।

3. उक्त के संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 2521, दिनांक 19.07.2022 एवं स्मार पत्रांक 3044, दिनांक 17.08.2022 द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म Torque Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 232-33-34, Sector-34-A, Chandigarh-160034 से कारण-पृच्छा किया गया था कि क्यों नहीं विषयांकित Rate Contract के Terms and Conditions की कंडिका 05.01, 05.02 एवं 05.03 के उल्लंघन के आलोक में उनके फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत भविष्य में प्रकाशित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगा दी जाये। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद संस्थान द्वारा अपना पक्ष अथवा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। तदोपरान्त दिनांक 17.11.2022 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति संख्या PR-10626 (Ni Ni) 2022-23 द्वारा Torque Pharmaceutical Pvt. Ltd. को पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुये सूचित किया गया कि विज्ञप्ति प्रकाशन के सात दिनों के अंदर इस कार्यालय द्वारा निर्गत कारण पृच्छा पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संदर्भ में अपना पक्ष रखते हुये लिखित स्पष्टीकरण निबंधित डाक/विशेष दूत के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि इस संबंध में निर्माता संस्थान को कुछ नहीं कहना है एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही एकतरफा अंतिम निर्णय लेने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी। प्रेस विज्ञप्ति संख्या PR-10626 (Ni Ni) 2022-23 द्वारा सम्पूर्ण अवसर प्रदान





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



किये जाने के बावजूद भी Torque Pharmaceutical Pvt. Ltd. अपना स्पष्टीकरण/अभिकथन/पक्ष नहीं रख सके है।

4. उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता फर्म Torque Pharmaceutical Pvt. Ltd. के द्वारा विषयांकित Rate Contract के Terms and Conditions की कंडिका 05.01, 05.02 एवं 05.03 का उल्लंघन किया गया है।

5. अतः Rate Contract के Terms and Conditions की कंडिका 05.01, 05.02 एवं 05.03 का उल्लंघन के फलस्वरूप M/s Torque Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 232-33-34, Sector-34-A, Chandigarh-160034 को आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिये काली सूची में दर्ज करते हुये बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत आगामी एक वर्ष के दौरान प्रकाशित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगायी जाती है।

(संजय कुमार सिंह)

कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक SHSB/PM/595/2022./1.6.29.0.

पटना, दिनांक ...24/01/23.

प्रतिलिपि : M/s Torque Pharmaceuticals Pvt. Ltd., 232-33-34, Sector-34-A, Chandigarh-160034 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(कार्यपालक निदेशक)

ज्ञापांक SHSB/PM/595/2022./1.6.29.0

पटना, दिनांक ...24/01/23..

प्रतिलिपि :

- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को लोक लेखा समिति की लंबित कंडिका 3.3 वर्ष 2013-14 (सांसां एवं आंप्रं) के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को लोक लेखा समिति की लंबित कंडिका 3.3 वर्ष 2013-14 (सांसां एवं आंप्रं) के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- निदेशक, सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कार्यपालक निदेशक)

